कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, बिजनौर।

संख्या 214 /आबकारी/वार्षिक व्यवस्थापन/निरस्त/2021–22/बिजनौर : दिनांक मई 17, 2021

"विज्ञप्ति"

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–21017/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2021–22/दिनांक::प्रयागराजः जनवरी 09, 2021 के बिन्दु–2.11.1 (ड़) में दिये गये वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु घोषित आबकारी नीति में वर्णित प्रकिया द्वारा जनपद बिजनौर स्थित निरस्त विदेशी मदिरा फुटकर दुकान–उमरी एवं निरस्त बीयर फुटकर दुकान–स्योहारा न0–2(मो0 इस्लामनगर रेलवे स्टेशन रोड) का मध्य सत्र में व्यवस्थापन किया जाना है। व्यवस्थापन दिनांक 19.05.2021 से दिनांक 25.05.2021 के मध्य ई–टेण्डर/ऑफर के माध्यम से कराया जायेगा। आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन ऑन–लाइन etender.up.nic.in पर टेण्डर/ऑफर मांगकर किया जायेगा। ऑन–लाइन टेण्डर करने हेतु नियम, शर्तें, प्रकिया व दुकानों का न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस/धरोहर धनराशि आदि का विवरण जनपद की वेब साईट https://bijnor.nic.in अथवा कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है। आन–लाइन टेण्डर/आफर हेतु विदेशी मदिरा/बीयर रू0 20000/– प्रोसेसिंग फीस निर्धारित है। प्रोसेसिंग फीस व धरोहर धनराशि पोर्टल पर दी गयी सुविधा के अनुसार ऑन–लाइन/पोर्टल से जनरेट चालान के माध्यम से अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट मूल रूप में जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन ई–टेण्डर/आफर हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है:–

1-	Tender publishing date	19.05.2021 at 09:00
2-	Document download start date	19.05.2021 at 11:00
3	Document download end date	25.05.2021 at 11:00
4-	Pre bid meeting date	20.05-2021 at 16:00 (District Excise Office, Room No.-32 Collectorate Compound Bijnor)
5-	Bid submission start date	19-05-2021 at 11:00
6-	Bid submission closing date	25-05-2021 at 11:00
7	Technical bid opening date	25-05-2021 at 12:00
8-	Financial bid opening date	25-05-2021 at 16:00
9-	The place of bid opening	Vikas Bhawan Bijnor
10-	Tender inviting officer	Collector Bijnor

दुकान का प्रकार

कमांक	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	शॉप आई0डी0	न्यूनतम् वार्षिक लाइसेंस फीस (रू० में)	न्यूनतम् धरोहर धनराशि (रू० में)	न्यूनतम हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि (5000 के गुणांक) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	विदेशी मदिरा दुकान– उमरी	ग्रामीण	9996	400000.00	40000.00	400000.00
2	बीयर दुकान– स्योहारा न0–2 (मौ0 इस्लामनगर रेलवे स्टेशन रोड)	न0पा	5171	590000.00	59000.00	590000.00

1– मदिरा की फुटकर दुकानों का आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा माडलशाप हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफर दाता को Digital Signature Certificate भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगा तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

2- सम्पूर्ण निविदा सूचना आलेख के साथ प्रारूप–1 पर आवेदन पत्र एवं प्रारूप–2 पर शपथ–पत्र दिया जायेगा। वित्तीय निविदा भाग (2) में केवल ऑनलाइन भरनी होगी। मात्र निर्धारित आवेदन–पत्र व शपथ–पत्र पर देय सूचना ही मान्य होगी। निर्धारित प्रारूप से भिन्न टंकित या तैयार किये गये आवेदन पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र व शपथ www.etender.up.nic.in से डॉउनलोड कर भरी जायेगी।

3– मदिरा की दुकान हेतु प्राप्त आफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0 के ई–टेण्डर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई–टेण्डर/आफर प्राप्त होते है, तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई–टेण्डर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

4– देशी मदिरा की दुकान के संदर्भ में स्वीकृत ई–टेण्डर से प्राप्त वार्षिक एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस 12 के गुणांक में प्राप्त होने वाले एम0जी0क्यू0 गुणा रू0 35.50 प्रति बल्क की दर से देय होगी।

विदेशी मदिरा, बीयर, भांग व माडलशाप के संदर्भ में टेण्डर/आफर में प्राप्त धनराशि को रू0 5000/– के अगले में गुणांक में करते हुए, वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी तथा माडलशाप पर मदिरापान की सुविधा हेतु रू0 200000/– की शुल्क अतिरिक्त रूप से देय है।

5– मदिरा की दुकान हेतु आवंटन के लिए भारतवर्ष के निवासी, जिनकी आयु आन–लाइन आफर प्रकाशन की तिथि तक आयु 21 वर्ष पूर्ण हो, ही आवेदन कर सकेंगे।

6– आवेदक के पक्ष में प्रदेश में पूर्व से यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो, तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।

7– आवेदन को ऑन लाइन ऑफर के साथ निम्न प्रपत्र स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन टैक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगी:–

1– आवेदन पत्र, 2– सम्बन्धित शपथ पत्र (रू0 10/– के नॉन ज्यूडिसियरी स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित), 3– पैन कार्ड, 4–आधार कार्ड, 5–.हैसियत प्रमाण पत्र/आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण–पत्र **(हैसियत प्रमाण पत्र/वैलुअर द्वारा निर्गतसम्पत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 01.01.2020 से पूर्व का निर्गत मान्य नहीं होगा)** 6–ई–टेण्डर आमंत्रित करते समय प्रोसेसिंग फीस एंव धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु "फी डिटेल" वाले पेज पर "फी–पेमेन्ट मोड"के अन्तर्गत "ऑनलाइन" (चेक बाक्स) सलेक्ट किया जायेगा। उसके उपरान्त प्रोसेसिंग फीस एंव धरोहर धनराशि ई–टेण्डर पोर्टल पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ली जायेगी।

8– किसी आवेदक के पक्ष में प्रदेश में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी तथा भांग दुकानों के मामले में एक जिले में दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं जायेगी।

9– आवेदक को ऑन लाइन ऑफर भरने पर बिड एक्नॉलेजमेन्ट प्राप्त होगा। उक्त बिड एक्नॉलेजमेन्ट ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्रमाण होगा। उक्त प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर वह निविदा खुलते समय प्रवेश पा सकेगा।

10– आवेदक द्वारा गलत तथ्य या Corrupt and fraud practice करने पर उसका आवेदन निरस्त होगा। आवेदक आन–'लाइन Bid submissionकी अन्तिम तिथि व समय से पूर्व अपनी बिड को संशोधित व वापस कर सकता है।

11– चयनित आवेदक को विवाद रहित समस्त अभिलेखों के साथ बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस सम्पूर्ण धनराशि तीन कार्य दिवस के अन्दर एवं प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत 10 कार्य दिवस में व शेष प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत चयन के 20 कार्य दिवस के अन्दर एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करना होगा, जो जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर के पक्ष में बंधक हो। समयान्तर्गत औपचारिकताएँ पूर्ण न करने पर चयनित आवेदक के जोखिम पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

12– आवंटन समिति किसी भी आन–लाइन आफर को बिना कारण बताए स्वीकार या निरस्त कर सकती है अथवा सम्पूर्ण आन–लाइन आफर की प्रक्रिया को निरस्त कर सकती है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया, नियमों एवं शर्तो के अधीन इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ई–टेण्डर प्रणाली/ऑफर दिए जाने के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 20.05.2021 को सायं 16:00 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कमरा नं0–32, बिजनौर में आयोजित प्री–बिड मीटिंग में उपस्थित हो सकते है।

(गिरीश चन्द्र वर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी,
बिजनौर।

17.5.21
(रमाकान्त पाण्डेय)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी,
बिजनौर।

संख्या 215 /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की साईट पर अपलोड कराते हुए, मदिरा दुकानों की ई–टेण्डर व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

17.5.21
(रमाकान्त पाण्डेय)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी,
बिजनौर।